"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2016— श्रावण 6, शक 1938

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-18/2015/32 . — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 21 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क) विकास हेतु अनुज्ञा के लिये -

(एक)	1 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के विकास के लिये	-	रु. 3750/-
(दो)	1 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2.5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के विकास के लिये	-	रु. 7500/-
(तीन)	2.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के विकास के लिये	-	रु. 15000/-
(चार)	5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के विकास के लिये प्रत्येक हेक्टेयर या उसके भाग के लिये अतिरिक्त फीस.	-	रु. 3750/-"

2

2. नियम 21 के उप नियम (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"बहुमंजिले भवन से भिन्न के अनुज्ञा के लिए–

मद क्र.	निर्माण का प्रकार	निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर	निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर	प्रभार्य शुल्क रूपये में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एक	भवन जो पूर्णरूपेण निवास के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो	0	75	750.00
		76	125	1315.00
		126	200	2250.00
		201	300	3375.00
		301	400	4500.00
		401	600	7500.00
		601	750	9375.00
		751	1000	13125.00
		1001	1250	18750.00
		1251	1500	26250.00
		1501	2000	37500.00
		2001	2500	56250.00
			2500 से अधिक	56250.00 एवं प्रति वर्ग मी. के लिये रू. 20 अतिरिक्त शुल्क
दो	भवन जो दुकान, भण्डार गृह, कारखाना या व्यापार या कारोबार चलाने अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने हेतु	मद क्र. एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ फीस की ऐसी रकम का 50% अतिरिक्त प्रभार, सिवाय इसके कि 2500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के लिये प्रभार्य फीस रू. 20 प्रति वर्ग मी. अतिरिक्त फीस होगी।		

	आशयित हो	
तीन	भवन जो कि किसी कारखाने मे प्रशासनिक खण्ड के रूप में उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो।	मद क्र. एक में यथाविहित फीस
चार	भवन जो दुकान सह निवास के प्रयोजन से उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो।	मद क्र. एक में विनिर्दिष्ट फीस के साथ ऐसी फीस की रकम का 50% अतिरिक्त प्रभार।
पांच	भवन जो सिनेमा थियेटर के रूप में उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो।	800 तक की बैठक क्षमता— रू. 22,500 800 से अधिक बैठक क्षमता— रू. 37,500
छः	भवन जो किसी सामाजिक, धर्मार्थ, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रयोजनों, धर्मशाला एवं इसी प्रकार के भवनों तथा किसी अन्य प्रयोजन जिसके लिये विशेष रूप से उपबंध न हो; के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो।	मद क्र. चार में विनिर्दिश्ट फीस का 50%
सात	निर्मित क्षेत्र में परिवर्धन या परिवर्तन अथवा बाह्य परिवर्धन या परिवर्तन जिससे निर्मित क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती हो जैसे आंगन, चहार दिवारी, उपस्थापना या छत निर्माण में परिवर्तन जैसा कि समतल सतह की ए. सी. शीट में टाइल्स लगाना, अतिरिक्त मार्ग खोलना या बंद करना जो नियम 94 के उप–नियम (1) के उपबंध के अन्तर्गत नहीं आते हों।	मद क्र. एक, तीन और छः में उल्लिखित प्रत्येक भवन में रू. 150 तथा मद क्र. दो, चार और पांच में उल्लिखित प्रत्येक भवन के मामले में रू. 750।

अ.ठ	प्रस्तावित रेखांक में अतिरिक्त परिवर्तन के मामले में	5% तक कुछ नहीं, 5% से अधिक तथा 10% तक रू. 200.00। 10% से अधिक के लिये, नियमों के अनुसार नया आवेदन आवश्यक होगा।
नौ	भवन अनुज्ञा का पुनः विधिमान्यकरण	संबंधित भवन के संबंध में मूलतः प्रभारित की गई फीस की रकम का 15%।''

3. नियम 21 के उप–नियम (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''बहुमंजिले भवन हेतु अनुज्ञा के लिए–

मद क्र.	निर्माण का प्रकार	प्रभारित फीस रूपये में
एक	भवन जो पूर्णरूपेण निवास के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित हो	रू. 35.00 प्रति वर्गमीटर तल क्षेत्रफल।

टीप : मद क्र. एक में विहित फीस में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होगी।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 7-18/2015/32. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-7-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.